लापरवाही ऐसे कैसे होगी समय पर लक्ष्य की प्राप्ति, जनपद पंचायत अमरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत अलौनी का मामला

2 वर्ष में पूर्ण नहीं हुआ जनमन आवास, झोपड़ी में परिवार

अमरपुर नवभारत 3 जनवरी। केंद्र सरकार व्दारा विशेष पिछड़ी जातियों के लिए लाई गई महत्वाकांक्षी जनमन आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों को पक्का आवास प्रदान करना है। सरकार की मंशा है कि इन समुदायों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण आवास मिले, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, लेकिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जनमन आवास योजना जमीनी स्तर पर फलित साबित नहीं हो पा रही है।

2024 में जनमन आवास योजना का आवास स्वीकृत हुआ था

अमरपुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अलौनी के वार्ड नं 3 में निवासरत पात्र हितग्राही सुखसेन द्वारा बताया गया कि 2024 में उसे जनमन आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी पहली किश्त प्राप्त होने पर जनमन आवास का प्लिंथ तक कार्य कराया गया है, लेकिन डोर लेवल तक काम करवाने के लिए उसे ईंट नहीं मिल रही है। फिलहाल वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ पांच वर्षों से झोपड़ी में रह रहा है, जिससे उसे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

योजना से लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा प्रशासनिक जिम्मेदारों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं तो वहीं पंचायती स्तर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जनमन आवास योजना के हितग्राहियों पर कार्य नहीं कराने एवं सरकार के द्वारा जारी की गई राशि का दुरुपयोग करने की बात कह रहे है। 2 वर्षों से पात्र हितग्राही जनमन आवास योजना के तहत बनने वाले आवास का आधा कार्य कराकर छोड़ चुके हैं।

कैसे होगी सरकार के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति

जानकारों की माने तो जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य 2026 तक 4.90 लाख पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार घर बनाने के लिए पैसा सीधे आधार से जुड़े खातों में ट्रांसफर करती है, जिससे गरीब लोगों को साफ सुथरा और बेसिक सुविधाओं से लैस घर मिल सके। विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही का ही परिणाम है समय पर जनमन आवास पूर्ण होने पर संशय है।

इनका कहना है

हमें जैसे हमारा आदमी रखता है हम वैसे रहते हैं। परेशानी ठंड और बारिश में होती है। जहां हम रहते हैं अपने बाल बच्चों को भी साथ रखते हैं। ईंट की कमी है। मकान बनवाएंगे तो बन जायेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे।

अनसुइया बाई, हितग्राही की पत्नी, ग्राम पंचायत अलौनी जनपद पंचायत अमरपुर

आपके व्दारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मैं इसे दिखवाकर ही बता पाऊंगा।

लोकेश नानोरे, सीईओ, जनपद पंचायत अमरपुर

234 पंचायतों में सवा दो लाख की राशि का अता-पता नहीं

डकार गए प्रचार-प्रसार की राशि, कागजों में सिमटी ग्राम सभाएं, सरपंचों ने खोली जिला पंचायत के दावों की पोल

नवभारत उमरिया 3 जनवरी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी-राम-जी बौवना को लेकर प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है।

भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि 26 दिसंबर को हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाए, जिसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्ति ग्राम पंचायत 1000 को राशि आवंटित की गई थी, लेकिन जिले को 234 ग्राम पंचायतों में इस बजट का ऐसा विलिनीकरण हुआ कि धरातल पर न तो व्यापक प्रचार प्रसार दिखा और न ही वह पैसा पंचायतों तक पहुंचा।

भोपाल का फरमान, उमरिया में गुम हो गया

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त अवि प्रसाद द्वारा जारी पत्र के अनुसार, समस्त कलेक्टरों और सीईओं जिला एवं जनपद को निर्देश दिए गए थे कि ग्राम सभा के प्रभावी प्रचार के लिए पोस्टर और बैनर का उपयोग करना सुनिश्रित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की 1000 तक व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसे मनरेगा के आईईसी मद से वहन किया जाना था। हैरानी की बात यह कि जिले के जनपद अधिकारियों ने पंचायतों को बजट देने के बजाय महज 2/4 का एक छोटा सा बैनर और कुछ पम्पलेट्स थमाकर औपचारिकता पूरी कर ली।

जियो टैगिंग के नाम पर सेटिंग का खेल

आदेश में यह था कि लगाए बैनरों की जियो-टैक फोटो और संख्यात्मक जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जानी है। जिले में जिस तरह से बिना बजट वितरण के यह अयोजन निपटाया गया, उससे साफ है कि पोर्टल पर अपलोड की गई फोटो और रिवर्ट भी महज एक कागजी खानापूर्ति है। बिना प्रचार-प्रसार के आयोजित इन ग्राम सभाओं में गामीणों की मौजूदगी न के बराबर थी, जिससे मूल उद्देश्य ही विफल हो गया। अगर उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाये तो जनपद से लेकर जिला पंचायत तक के कई धुरंधर भ्रष्टाचार के जाल में फस सकते हैं।

हमें नहीं मिला एक भी रुपया

जिले की कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर जिला प्रशासन और जनपद के कारनामों की पोल खोल दी है। सरपंचों का कहना है कि उन्हें ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश तो मिले लेकिन खर्च के लिए निर्धारित काट का कोई अता-पता नहीं है। जिला पंचायत के जिम्मेदारों ने ऊपर से आए बजट की सामग्री थमा दी। जिले की 234 पंचायतों के हिसाब से करीब 2 लाख 35 हजार रुपये का यह सीधा-सीधा गोलमाल नजर आता है।

जॉब कार्ड धारी श्रमिकों को मिलेगा प्रशिक्षण

- प्रोजेक्ट उन्नति के तहत स्थाई आजीविका का अवसर प्रदान किया जाएगा

डिंडोरी, नवभारत 3 जनवरी। मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक न्यूनतम 60 दिवस की मजदूरी का कार्य करने वाले जॉब कार्ड धारी परिवार के इच्छुक पात्र हितग्राही, युवाओं को स्थाई आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रोजेक्ट उन्नति के तहत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

इसका मुख्य उद्देश्य अकुशल श्रमिकों और उनके परिवार के व्यस्क सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्थाई आजीविका का अवसर प्रदान करना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी ने बताया कि ऐसे जॉब कार्ड धारी, जिन्होंने पूर्व में प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हे प्रशिक्षण हेतु चयनित कर उनकी इच्छा अनुसार कौशल प्रशिक्षण आरसेटी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

रोजगार सहायक के माध्यम से होगा सर्वेक्षण

जिले के समस्त विकासखण्डों के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से सर्वेक्षण कर इच्छुक और सक्षम उम्मीदवारों का चिन्हांकन किया जायेगा। जिसके बाद चिहाकित उम्मीदवारों की प्रारंभिक कॉउसलिंग रुचि अनुसार ट्रेड चयन के लिये की जायेगी। उम्मीदवारों का पंजीकरण कौशल पंजी एप्प और पोर्टल के माध्यम से 9 जनवरी तक किया जायेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को चयनित ट्रेड के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

143 हितग्राहियों का किया जाएगा चयन

जिले को वर्ष 2025-26 में 143 हितग्राहियों को चयनित कर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रोजेक्ट उन्नति में 18-45 वर्ष के जॉबकार्ड धारी परिवार के सदस्य अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हितग्राही चयन एवं पंजीयन में आरसेटी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किया जाना है। विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी होंगे इनके साथ विकासखंड प्रबंधक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी दल में शामिल रहेंगे।

बस खाई में गिरी, 30 घायल, 4 की हालत गंभीर

- गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया

शहपुरा नवभारत 3 जनवरी। शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राछो घाट के पास शनिवार 3 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जबलपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में बस में सवार करीब 30 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही शहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा पहुंचाया गया। जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। बताया गया कि बस में सवार यात्री इलाज कराने के उद्देश्य से जबलपुर जा रहे थे।

इलाज के लिए जबलपुर जा रहे थे-शहपुरा थाना प्रभारी अनुराग जामदार ने बताया कि बस जबलपुर जा रही थी। यात्री निःशुल्क उपचार के लिए सुखसागर हॉस्पिटल जबलपुर जा रहे थे। पुलिस द्वारा घायलों की पहचान की जा रही है तथा उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। अधिकांश घायल शहपुरा जनपद क्षेत्र के आसपास के गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं।

अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरे, सरकार को दी चेतावनी

- सब्र का बांध आखिरकार टूट गया, रैली निकालकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

नवभारत उमरिया 3 जनवरी। बरसों से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने अतिथि शिक्षकों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले जिले के हजारों शिक्षकों ने अपने भविष्य को लेकर आर-पार की जंग का शंखनाद कर दिया है।

शुक्रवार को स्थानीय सगरा मंदिर से निकली विशाल रैली ने शहर के मुख्य मार्गों को जाम कर दिया। गगनभेदी नारों और आक्रोशित चेहरों के साथ जब यह हुजूम कलेक्ट्रेट पहुंचा, तो प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए।

18 साल की सेवा और मिला क्या-प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि पिछले 17-18 वर्षों से वे स्कूल शिक्षा और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अपनी जवानी खपा चुके हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से स्कूलों को सींचने वाले इन गुरुओं को सरकार ने आज अधर में छोड़ दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में तीन अलग-अलग कैडर बनाकर कर्मचारियों को तो उपकृत कर दिया, लेकिन अतिथि शिक्षकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर उनके साथ

सरकार के सामने रखीं ये मांगें-शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कार्यानुभव और वरिष्ठता के आधार पर सेवाकाल 12 माह किया जाए और 62 वर्ष की आयु तक सुरक्षा प्रदान की जाए। सेवा से पृथक किए गए शिक्षकों को रिक्त पदों पर तुरंत समायोजित किया जाए। 2 सितंबर 2023 की घोषणा के अनुसार, शिक्षक भर्ती में प्रतिवर्ष 4 अंक (अधिकतम 20 अंक) मेरिट सूची में जोड़े जाएं। वरिष्ठता के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए।

मांगों की अनदेखी पड़ी भारी-रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल विचार नहीं किया गया, तो यह आंदोलन केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा। जिले के हर कोने से आए शिक्षकों ने हुंकार भरी है कि अब हक मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। इस विशाल प्रदर्शन में जिले भर के हजारों महिला एवं पुरुष अतिथि शिक्षक अपनी मांगों की तख्तियां लिए शामिल हुए, जिसने शासन और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आंदोलनकारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकार की बेरुखी के कारण उन्हें अब सेवा से बाहर होने का डर सताने लगा है।

केंद्रों में तेजी से करें उपार्जित धान का परिवहन

- कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों को दिए निर्देश

उमरिया नवभारत 3 जनवरी। खरीफ विपणन समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य जिले में संचालित 44 धान उपार्जन केंद्रो के माध्यम से किया जा रहा है।

समिति स्तर पर उपार्जन केंद्रों में कुल धान खरीदी 794599.24 क्वि., रेडी टू- ट्रांसपोर्ट 653638.94क्वि., परिवहन धान 368898.80 क्विंटल, परिवहन हेतु शेष धान की मात्रा 335700.44 क्विंटल है। परिवहन का प्रतिशत 52 है, जो कि अत्यंत कम है। कलेक्टर ने मेसर्स पवन कुमार जैन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीफ विपणन परिवहनकर्ता कैंप छतरपुर अधिकृत धान परिवहनकर्ता से कहा है कि समिति स्तरीय धान उपार्जन केन्द्रो से तत्काल अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था कर उपार्जित धान का त्वरित उठाव, परिदान कराकर वस्तु स्थिति से तीन दिवस के अंदर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए।

कर्मचारियों के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित

उमरिया नवभारत 3 जनवरी। कलेक्टर ने वर्ष 2026 के लिए उमरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण सीमा क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया है जिसमें 4 मार्च बुधवार होली का दूसरा दिन, 25 सिंतबर शुक्रवार अनंत चतुर्दशी तथा 20 नवंबर शुक्रवार देवउठनी एकादशी शामिल है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अवकाश जिले के सीमान्तर्गत समस्त शासकीय कार्यालयों पर लागू होंगे, लेकिन यह अवकाश कोषालय, उप कोषालय एवं बैंकों पर प्रभावशील नहीं होंगे।

दो बाइकों में भिड़ंत से एक युवक की मौत

कटनी। जिले के रीठी थाना अंतर्गत मंटोला गांव में तालाब के पास दो मोटर साइकिलों में हुई आमने-सामने भिड़ंत में एक युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हो गए। जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि हठकुछ गांव निवासी टेकचंद नामक युवक अपने दोस्तों के साथ शुक्रवार सुबह बाइक से कटनी स्थित वैष्णो देवी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। उनकी बाइक मंटोला गांव के तालाब के पास सामने से आ रही एक बाइक से टकरा गई।

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India
BOI

आंचलिक कार्यालय: एमआईजी-15, राजेश्वर बिल्डिंग, शिव नगर, दमोह रोड, जबलपुर- 482002
Email: jabalpur.ard@bankofindia.co.in

नीलामी / विक्रय सूचना

नीलामी तिथि - 28.01.2026, समय : सुबह 10.00 से शाम 4.00 बजे

अधोलिखित ऋणियों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण को नहीं चुकाये जाने के कारण बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत दृष्टिबंधक चल संपत्तियों (वाहन) का कब्जा लेकर विक्रय का निर्णय किया जाता है। इस हेतु आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोलिखित सम्पत्ति आम नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी।

ऋणी / बंधककर्ता का नाम एवं पता	संपत्ति का विवरण	खाता क्रमांक एवं बकाया राशि	नियत मूल्य	धरोहर राशि
विक्रांत सिंह निवासी बी-9, प्रगती विहार, भटरई रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	टाटा मोटर्स / टाटा सिग्ना CG10 - BW - 0188 बी.एस.- 6 ट्रिप ट्रेलर एच.पी. 300.16/ डब्ल्यू. बी. 3320	खाता खं. 94177231-0000105 ₹ 51,92,948.71	₹ 39,00,000/-	₹ 3,90,000/-
विक्रांत सिंह निवासी बी-9, प्रगती विहार, भटरई रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	टाटा मोटर्स / टाटा सिग्ना CG10 - BW - 0180 बी.एस.- 6 ट्रिप ट्रेलर एच.पी. 300.16/ डब्ल्यू. बी. 3320	खाता खं. 94177231-0000104 ₹ 48,79,889.41	₹ 39,00,000/-	₹ 3,90,000/-
विक्रांत सिंह निवासी बी-9, प्रगती विहार, भटरई रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	टाटा मोटर्स / टाटा सिग्ना CG10 - BW - 0189 बी.एस.- 6 ट्रिप ट्रेलर एच.पी. 300.16/ डब्ल्यू. बी. 3320	खाता खं. 94177231-0000106 ₹ 54,25,400.30	₹ 39,00,000/-	₹ 3,90,000/-
विक्रांत सिंह निवासी उमरिया रोड, बांधवगढ़ उमरिया, मध्यप्रदेश - 484661	टाटा मोटर्स / टाटा सिग्ना MP54 - ZB - 1114 बी.एस.- 6 ट्रिप ट्रेलर एच.पी. 300.16/ डब्ल्यू. बी. 3320	खाता खं. 94177231-0000006 ₹ 50,56,835.27	₹ 38,00,000/-	₹ 3,80,000/-

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात ऋणभार का विवरण : ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें- 1. नीलामी बिक्री/बोली केवल वेबसाइट **https: baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगी। 2. यदि आवश्यक हुआ तो 10-10 मिनट का असीमित विस्तार किया जाएगा। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर शुरू होगी और बोलीदाताओं को उपरोक्त सभी वाहनों के लिए 10,000 रूपये गुणक में अपने प्रस्तावों में सुधार करना होना। बिक्री आरक्षित मूल्य पर या उससे कम पर नहीं होगी। 3. विक्री प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 4. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्हें नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त वाहनों से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, वाहन के बकाया कर आदि के बारे में अपनी जांच करनी होगी। वाहन सभी मौजूदा और भविष्य की देनदारियों के साथ बेचें जा रहे हैं, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/ अधिकारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार / जवाबदेह नहीं होगा।। 5. सफल क्रेता को विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि (जिसमें अग्रिम जमा धरोहर राशि, शामिल होगी) नकद / नकदी आदेश / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बोली समाप्त होने के बाद तत्काल जमा करनी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत विक्रय राशि विक्रय की दिनांक से 7 दिन के भीतर जमा करनी होगी, उक्त प्रकार से राशि जमा करने में असफल रहने की दशा में पूर्व जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 6. वाहन के विक्रय पश्चात् उसके स्थानांतरण, टैक्स, बीमा एवं आरटीओ संबंधित समस्त खर्च क्रेता को वहन करने होंगे। 7. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित वाहनों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोतम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।। 8. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली या किसी भी बोली या किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने और बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने और माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, प्राधिकृत अधिकारी कर उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 9. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए https:baanknet.com, www.bankofindia.co.in देखें, एवं वाहन निरीक्षण हेतु दिनांक 27.01.2026 को सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच चीफ मैनजर जोनल ऑफिस, जबलपुर राजेश मौर्या जी मो. 7376391515 पर संपर्क करें, 10. यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ता (ओं) / जमानतदार (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए 15/30 दिनों का नोटिस भी है। 11. सफल बोलीकर्ता की वह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा 194-प के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रू. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म 26QB ऑनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म 168 में जारी करना होगा। खरीददार को सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जबलपुर दिनांक : 4.01.2026

प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया